न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23/2021 GCMS No 2021/148

दायरा तिथि : 02.08.2021

आदेश तिथि : 28-6-2022

प्रार्थीगण :–

1. नथाराम पुत्र खंगाराम
2. चतरू पत्नि पनाराम जातिगण जणवा चौधरी
   निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. गुलाबचन्द पुत्र रामचन्द जाति गरूडा
2. दिलीपकुमार पुत्र वेलाराम भारती जाति मेगवाल
3. सुमटी पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल
   निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक 28-6-2022

आदेश

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम धणी पटवार हल्का, धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 544 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण गुलाबचन्द पुत्र रामचन्द जाति गरूडा व अन्य निवासी धणी की खातेदारी भूमि ग्राम धणी पटवार हल्का, धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 545 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/222 दिनांक 31.01.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह हैं कि ग्राम धणी के खसरा नंबर 544 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री नथाराम पुत्र खंगाराम जाति चौधरी निवासी धणी के नाम से सह खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदारो की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। तथा वर्तमान में खसरा नंबर 544 में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से खरीफ फसल बोई नहीं जा रही है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	545	0.83 हैक्टर	बारानी दोयम	108X5=540 वर्गमीटर	गुलाबचन्द पुत्र रामचन्द गरूडा, दिलीपकुमार पुत्र वेलाराम भारती, सुमटी पत्नि मांगीलाल हिस्सा जमाबंदी अनुसार

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम धणी की डी.एल.सी. दर 230040/–रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थीगण को जारी नोटिस अप्रार्थी गुलाबचन्द को देने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये। अप्रार्थी गुलाबचन्द बावजुद नोटिस तामील के आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी संख्या–03 सुमटी की ओर से उसके पुत्र मांगीलाल द्वारा दिनांक 25.05.2022 को एक बार उपस्थिति दी गई। सुमटी बावजुद नोटस के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23/2021 GCMS No 2021/148

अनवान नथाराम वगैरा बनाम गुलाबचन्द वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक 03.06.2022 को प्रार्थी पक्ष ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि अप्रार्थी दिलीपकुमार पुत्र वेलाराम भारती का रेकर्ड में नाम जरूर दर्ज है, परन्तु उनके द्वारा भूमि का बेनामी बेचान समाराम पुत्र संग्रामजी व जगाराम पुत्र उमाराम देवासी नि. धणी को किया है, तथा मौके पर देवासी समाज के लोगों का कब्जा होने से दिलीप नहीं आ रहा है। प्रार्थी पक्ष के अनुरोध पर समाराम व जगाराम को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 09.06.2022 की नियत पेशी को समाराम व जगाराम के नोटिस तामील/अदम तामील नहीं लौटे परन्तु इनकी ओर से अधिवक्ता लोकेन्द्रसिंह मेडतियान ने आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अण्डर टेकिंग लिया। दिनांक 14.06.2022 की पेशी को प्रार्थी पक्ष की ओर से वकील श्री मूलसिंह यादव ने वकालतनामा पेश किया तथा भूराराम की ओर से रविन्द्रसिंह राव व जितेश भंडारी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 20.06.2022 की नियत पेशी को अप्रार्थी दिलीप भारती स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित हुआ तथा प्रार्थी नथाराम वगैरा को रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की। चूँकि रेकर्डेड खातेदार दिलीप भारती द्वारा रास्ता बाबत् सहमति प्रकट कर देने एवं प्रार्थी पक्ष द्वारा बताये कब्जेधारियो को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने एवं भूराराम के अधिवक्ता को आपत्तिया प्रस्तुती के लिये भी पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद कोई एतराज/ आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थी पक्ष के अनुरोध पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री मूलसिंह यादव ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते इसी अनुसार रास्ता बाबत् आदेश दिये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 544 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है। तथा तहसीलदार, बाली के जांच प्रतिवेदन के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि धणी के खसरा नंबर 545 रकबा 0.83 हैक्टर के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है।

अतःराजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम धणी पटवार हल्का, धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 544 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण गुलाबचन्द पुत्र रामचन्द गरूडा वगैरा निवासी धणी की खातेदारी भूमि ग्राम धणी पटवार हल्का, धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 545 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/2022/ 222 दिनांक 31.01.2022 के संलग्न मौका नक्शा के अनुसार **मेंसे 5X108=540 वर्गमीटर** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 खुडाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 230040/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
545	0.83 हैक्टर	5X108=540	23.004	12422X2=24844	गुलाबचन्द पुत्र रामचन्द गरूडा, दिलीपकुमार पुत्र वेलाराम भारती, सुमटी पत्नि मांगीलाल हिस्सा जमाबंदी अनुसार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **24844/– (अक्षरे चौबीस हजार आठ सौ चव्वाली रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 खुडाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री ... स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23/2021 GCMS No 2021/148

अनवान नथाराम वगैरा बनाम गुलाबचन्द वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमांक/कोर्ट(रास्ता)/2022/2205-09 दिनांक 28-6-2

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक नथाराम पुत्र खंगाराम जाति जणवा चौधरी निवासी धणी तहसील बाली को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner